भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या 1299

सोमवार, 13 मार्च, 2023 (22 फाल्गुन,1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

यात्रियों के मूलभूत अधिकार एवं सुविधाओं के संबंध में दिशा-निर्देश

1299. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नागरिकों के लिए हवाई उड़ानों के लिए नए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार कर रही है, ताकि यात्रियों और एयरलाइनों के बीच मानवाधिकारों के हनन और विवादों को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मानना है कि विगत दो वर्षों में एयरलाइनों में यात्रा करने वाली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(घ) विगत दो वर्षों में एयरलाइन बार दर्ज की गई ऐसी घटनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) और (ख) जी नहीं। तथापि, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), नागर विमानन संरक्षा विनियामक, ने विमान/ विमान में सवार व्यक्तियों/संपत्ति की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और विमान पर शिष्टता और अनुशासन बनाए रखने के लिए नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर), खंड 3-विमान यातायात, श्रृंखला एम, भाग VI शीर्षक, "अशिष्ट/उपद्रवी यात्रियों की संभलाई" जारी की है।

(ग) जी नहीं।

(घ) 2021 से पिछले दो वर्षों सहित चालू वर्ष में, नागर विमानन महानिदेशालय को एयरलाइऑनो द्वारा अशिष्ट व्यवहार के कुल 139 घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। डीजीसीए द्वारा घटनाओं का लिंग वार वर्गीकरण नहीं किया जाता है।

*****